

# ढा घटा

किंग पर  
गोम नर

ल्ली। डेढ़: सी  
न: लेने वाले  
से के बाद अब  
डू बैठकों का दौर  
। इस मामले में  
राज्यमंत्री राजेन  
धरसों को निर्देश  
पटी के लिए एक  
न: प्लान: तैयार  
नल: रैहवा से भी  
नों के आपश्चान:  
भिकता दें। इस  
बोर्ड के अलावा  
नवें और सेपटी  
र भी मौजूद थे।  
अफसरों से कहा  
मामले में किसी  
ही बर्दाश्त नहीं  
में अफसरों को  
पटी के मामले में  
न चलें। बैठक  
डू टैकमैन और  
गया गया था।  
है कि खुद रेल  
दू टैकमैन और  
की और उनके

## गीबीसी, बुआ'

म पाहौल के बीच  
र नेताओं ने एक-  
ज में सवाल पूछे।  
नहीं मायावती को  
क्रास्ट कारपोरेशन  
खिलेश को एसपी  
माया के मुताबिक,  
पर मैं कुछ नहीं  
दूसरे पर मजाकिया  
लेकिन इन हमलों  
भी मोदी और बीजेपी  
बोला।  
शे यादव गुरुवार  
नकी सेंट्रल ड्रॉल में  
लाकात हुई। इसके  
दोनों की बात हुई।  
दी का फैसला यूपी  
वाइकिल वाले लोग

## चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: गढ़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन - 325208  
टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फैक्स नं.: 07455-274130  
कॉर्पोरेट कार्यालय: "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110025  
टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900; फैक्स नं.: +91-11-40638679  
ई-मेल: [isc@chambal.in](mailto:isc@chambal.in); वेबसाइट: [www.chambalferfertilisers.com](http://www.chambalferfertilisers.com)  
(सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

### अंशधारकों हेतु सूचना

#### समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("आईडपीएफ नियम"), जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है एवं 7 सितम्बर 2016 से प्रभावी है, के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से बेदावा/अदत्त हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईडपीएफ") के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

आईडपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके अंश आईडपीएफ को हस्तांतरित होनेवाले हैं, को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है। कंपनी ने हस्तांतरण हेतु यथोचित ऐसे अंशधारकों और अंशों का सम्पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट [www.chambalferfertilisers.com](http://www.chambalferfertilisers.com) पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया है।

कंपनी द्वारा सम्बंधित अंशों का हस्तांतरण, जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से बेदावा/अदत्त रहते हैं, आईडपीएफ को नियत तारीख एवं आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईडपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी उपाजित लाभों सहित, यदि कोई हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से आईडपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक संघ केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110025 (टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900, ई-मेल: [isc@chambal.in](mailto:isc@chambal.in)) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता/-

राजवीर सिंह

असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट- लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: नवम्बर 24, 2016



# वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी)

सो सम्बंधित जानकारी के लिए हमारे पास आएं